"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2014— पौष 19, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी, 2014 (पौष 19, 1935)

क्रमांक-299/विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता.-/
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 1 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2014

वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य की संचित निधि में से 18,76,67,40,663 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उन राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार आठ सौ छिहत्तर करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार छः सौ तिरेसठ मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	4,43,00,000	6,00,000	4,49,00,000
		पूंजी	16,84,53,371	0	16,84,53,371
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	60,80,000	0	60,80,000
03	पुलिस	राजस्व	91,65,36,400	0	91,65,36,400
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,54,70,000	0	1,54,70,000
05	जेल	राजस्व	6,00,00,100	0	6,00,00,100
06	वित्त से संबंधित व्यय	राजस्व	29,00,00,000	0	29,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	35,00,200	5,28,820	40,29,020
10	वन	राजस्व	86,60,000	25,00,000	1,11,60,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	22,00,00,000	0	22,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,16,06,350	0	5,16,06,350
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	8,47,12,000	0	8,47,12,000
16	मछली पालन	राजस्व	55,00,000	0	55,00,000
18	श्रम	राजस्व	300	0	300
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	50,00,00,000	0	50,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	0	50,00,000	50,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	0	4,50,000	4,50,000
		पूंजी	100	0	100
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,78,100	0	3,78,100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	3,28,57,000	0	3,28,57,000
		पूंजी	3,21,09,000	0	3,21,09,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	7,50,000	0	7,50,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	24,20,50,200	0	24,20,50,200
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	31,00,000	30,00,000	61,00,000
		पूंजी	100	0	100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	16,14,66,000	0	16,14,66,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
36	परिवहन	राजस्व	1,00,00,100	0	1,00,00,100
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित.	राजस्व	3,82,49,99,100	0	3,82,49,99,100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	4,31,77,22,400	0	4,31,77,22,400
		पूंजी	19,55,00,300	0	19,55,00,300
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	99,00,000	0	99,00,000
		पूंजी	56,00,00,000	0	56,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	पूंजी	100	0	100
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	3,60,00,100	0	3,60,00,100
		पूंजी	1,64,62,000	0	1,64,62,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,29,00,000	0	1,29,00,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,50,00,000	0	7,50,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,00,00,100	0	1,00,00,100
		पूंजी	25,71,00,000	0	25,71,00,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	83,60,572	0	83,60,572
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	200	0	200
64	अनसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,32,33,83,950	0	1,32,33,83,950
		पूंजी	9,20,85,100	0	9,20,85,100
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	35,40,00,000	0	35,40,00,000
		पूंजी	9,30,84,000	0	9,30,84,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	7,60,00,000	0	7,60,00,000
		पूंजी	2,82,77,100	0	2,82,77,100
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	41,54,40,000	0	41,54,40,000
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी.	राजस्व	28,00,00,000	0	28,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,22,00,200	0	6,22,00,200
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,29,20,68,000	0	1,29,20,68,000
81	नगरीय निकायों की वित्तीय सहायता	राजस्व	1,81,09,20,000	0	1,81,09,20,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	56,96,02,000	0	56,96,02,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,11,27,000	0	2,11,27,000
	योग	राजस्व	17,09,15,90,572	70,78,820	17,09,86,69,392
		पूंजी	1,66,30,71,271	50,00,000	1,66,80,71,271
	वृहद योग		18,75,46,61,843	1,20,78,820	18,76,67,40,663

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 8 जनवरी, 2014

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.